



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246771
CG-DL-E-23062023-246771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]
No. 368]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 जून, 2023

आयकर

सा. का. नि. 457(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i), (ii), (iii) और (iv), धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परंतुक, धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख), धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कग) के उप-खंड (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi), धारा 12 क की उपधारा (1) के खंड (ख) का उपखंड (ii), खंड 12कख की उप-धारा (3), धारा 80छ की उप-धारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i), (ii), (iii) और (iv), धारा 80छ की उप-धारा (5) के तीसरे परंतुक, धारा 295 के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (ग्यारवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 जिसे इसमें (इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,

(क) नियम 2ग में,-

(i) उप-नियम (1) में, -

- (I) खंड (i) में, "खंड (i) या" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (i) या उपखंड (क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (II) "खंड (ii) में, "खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, "खंड (iii) या खंड (iv) के उप-खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;"

(ii) उप-नियम (7) में, "धारा 10" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 10 जैसा कि वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा इसके संशोधन से ठीक पूर्व माना जाएगा" शब्द, आंकड़े और कोष्ठक रखे जाएंगे;"

(ख) नियम 11 कक में,-

(i) उप-नियम (1) में, -

- (I) खंड (क) में, "खंड (i) या" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (i) या उप-खंड (क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (II) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) उक्त परंतुक के अधीन प्राधिकृत प्रधान आयुक्त या आयुक्त को धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) या उपखंड (ख) के अधीन आवेदन के मामले में प्ररूप सं. 10कखा";

(ii) उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(7) निम्नलिखित के अधीन किए गए आवेदन के मामले में,-

- (i) धारा 80 छ की उप-धारा (5) के पहले परंतुक का खंड (iv) जैसा कि वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा इसके संशोधन से ठीक पूर्व खड़ा था; या
- (ii) धारा 80छ की उप-धारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (क),
अनंतिम अनुमोदन उस पिछले वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रभावी होगा जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है।";

(ग) नियम 17क में,-

(i) उपनियम (1) में,-

- (I) खंड (i) में, "उप-खंड (i) या" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए, "उप-खंड (i) या उप-खंड के मद (क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;"
- (II) खंड (ii) में, "या (v)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "या (v) या उप-खंड (vi) का मद (ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;"

(ii) उप-नियम (7) में, "धारा 12क" शब्द, अंक और अक्षर के लिए, "धारा 12क जैसा कि वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा इसके संशोधन से तुरंत पूर्व माना जाएगा" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखें जाएंगे।"

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट II में, -

(क) प्ररूप संख्या 10क में -

(i) सारणी के नीचे और "प्ररूप नंबर 10क भरने के लिए टिप्पणियों" से पूर्व, "मैं __, पुत्र/पुत्री" शब्दों से शुरू होने वाले भाग के लिए और शब्दों के साथ समाप्त होने वाले

"तारीख

हस्ताक्षर",

निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"मैं __, पुत्र/पुत्री घोषणा करते हैं कि प्ररूप में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

मैं वचन देता हूँ कि मैं धारा कोड 2/7/8/9/10/12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन (जो भी लागू हो उसे काट दें) के लिए आवेदन कर रहा हूँ और (संस्था का नाम, न्यास या निधि) क्रियाकलाप में स्थायी खाता संख्या (पैन)..... इस आवेदन को करने की तारीख को या उससे पूर्व आरंभ नहीं हुआ है।

मैं आगे यह भी वचन देता हूँ कि न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी की शर्तों में या इसमें इसके पश्चात् किसी भी समय बनाए गए संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ संसूचित करूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी क्षमता में यह प्ररूप दाखिल कर रहा हूँ। (पदनाम) पैन होने के कारणऔर मैं इस प्ररूप को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख :

हस्ताक्षर

या (कोड 1/3/4/5/6/11)

मैं/.....,पुत्र/पुत्री/पुत्री..... घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

मैं इसमें इसके पश्चात् किसी भी समय न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी की शर्तों में या संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ संसूचित करने का वचन देता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार यह प्ररूप दाखिल कर रहा हूँ..... (पदनाम) स्थायी खाता संख्या और यह कि मैं इस प्ररूप को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख :

हस्ताक्षर

(जो भी लागू नहीं है उसे हटा दें);

(ii) "प्ररूप संख्या 10क भरने के लिए टिप्पणियों" शीर्ष के अधीन में, क्रम संख्या (2) के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: - "2. धारा 10(23ग)/12क /80 छ के अधीन रजिस्ट्री के लिए आवेदन / पंक्ति 2 में निम्नलिखित कोड में से एक का चयन करें:

1	धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कग) के उप-खंड (i)	01
2	धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कग) के उप-खंड (vi) की मद (क)	02
3	खंड (i), धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	03
4	खंड (i), खंड 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (v) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	04
5	खंड (i), खंड 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	05
6	खंड (i), खंड 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vik) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	06
7	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (क) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)।	07
8	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (क) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (v) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)।	08
9	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (क) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)।	09
10	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (क) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vik) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)।	10
11	धारा 80 छ की उप-धारा (5) के पहले परंतुक का खंड (i)	11
12	धारा 80 छ की उप-धारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) का उप-खंड (क)	12";

(ख) प्ररूप संख्या 10 कख में, -

(i) सारणी के नीचे और "प्ररूप संख्या 10 कख भरने के लिए टिप्पणियों" से पूर्ण, शब्दों के साथ शुरू होने वाले भाग के लिए "मैं ____, पुत्र/पुत्री" और शब्दों के साथ समाप्त

"तारीख:

हस्ताक्षर",

निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“मैं _____, पुत्र/पुत्री घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

मैं वचन देता हूँ कि मैं तारीख/माह/ वर्ष पर क्रियाकलापों को शुरू करने वाले खंड कोड 4क/12क/12ख/12ग/12ड/14क के अधीन रजिस्ट्री/अनुमोदन (जो भी लागू हो, हड़ताल करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ और यह भी कि ऐसे क्रियाकलापों के शुरू होने के पश्चात किसी भी समय दिन /माह/वर्ष पर इस आवेदन को करने की तारीख को या उससे पहले समाप्त होने वाले किसी भी पिछले वर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) या उप-खंड (v) या उप-खंड (vi) या उप-खंड (vi)क) या धारा 11 या धारा 12 की प्रयोज्यता के कारण कुल आय से बाहर रखा गया है।

मैं आगे यह भी वचन देता हूँ कि न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी की शर्तों में या इसमें इसके पश्चात् किसी भी समय बनाए गए संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ संसूचित करूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं पैन धारक होने के कारण अपनी क्षमता के अनुसार इस प्ररूप को दाखिल कर रहा हूँ (पदनाम) और मैं इस प्ररूप को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख

हस्ताक्षर

या (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 कोड के लिए)

मैं _____, पुत्र/पुत्री, घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

मैं इसमें इसके पश्चात किसी भी समय किए गए न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी या संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ संसूचित करने का वचन देता हूँ। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं स्थायी खाता संख्या _____ के रूप में अपनी क्षमता में यह प्ररूप दाखिल कर रहा हूँ (पदनाम) और यह कि मैं इस प्ररूप को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख

हस्ताक्षर

(जो लागू न हो उसे काट दें);

(ii) प्ररूप संख्या 10कख भरने के लिए टिप्पणियों के शीर्ष के अधीन क्रम संख्या (2),-

(I) पंक्ति 4 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“4क	धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कग) के खंड (vi) की मद(ख)	4क”;
-----	--	------

(II) पंक्ति 12 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्तियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“12क	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (बी) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)।	12क
12ख	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (बी) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (v) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	12ख
12ग	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (बी) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)	12ग
12घ	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप-खंड (ख) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)।	12घ ”;

(III) पंक्ति 14 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“14क	धारा 80 छ की उप-धारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) का उप-खंड (ख)	14क ”;
------	---	--------

(ग) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से,-

(i) प्ररूप संख्या 10कग में, पंक्ति 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“2क.	क्रियाकलापों की प्रकृति	पूर्त	<input type="checkbox"/>	धार्मिक	<input type="checkbox"/>	धार्मिक सह पूर्त ” ;	<input type="checkbox"/>
------	-------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	----------------------	--------------------------

(ii) प्ररूप सं. 10कघ में, पंक्ति 2, के पश्चात् निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी:-

“2क.	क्रियाकलापों की प्रकृति	पूर्त	<input type="checkbox"/>	धार्मिक	<input type="checkbox"/>	धार्मिक सह पूर्त ” ;	<input type="checkbox"/>
------	-------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	----------------------	--------------------------

(iii) प्ररूप 10ख में, उपाबंध में, "अनुसूची 269धन और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची 269धन: एक दिन में किसी व्यक्ति से धारा 269धन में निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्राप्त राशि का विवरण; या एक ही लेनदेन के संबंध में; या पिछले वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में				
आदाता का विवरण और भुगतान की राशि				
क्र.सं	नाम	पैस, यदि उपलब्ध हो	पता	भुगतान की राशि”;

(iv) प्ररूप सं. 10खख में , उपाबंध में, पंक्ति 10 (iii) में, "उप-खंड (iv)" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर ,
"उप-खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंको को रखा जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 45/2023/ फा.सं. 370142/18/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में संख्या का. आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 194(अ) तारीख 16 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd June, 2023

INCOME-TAX

G.S.R. 457(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of the first proviso to clause (23C) of section 10, ninth proviso to clause (23C) of section 10, clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10, sub-clauses (i) (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A, sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A, sub-section (3) of section 12AB, clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of the first proviso to sub-section (5) of section 80G, third proviso to sub-section (5) of section 80G read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (Eleventh Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the 1st day of October, 2023.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules),—

(a) in rule 2C,-

(i) in sub-rule (1), -

(I) in clause (i), for the words, brackets and figure “clause (i) or”, the words, brackets, figure and letter “clause (i) or sub-clause (A) of” shall be substituted;

(II) in clause (ii), for the word, brackets and figures “clause (iii)”, the words, bracket, figures and letter “clause (iii) or sub-clause (B) of clause (iv)” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (7), for the word and figures “section 10”, the words and figures “section 10 as it stood immediately before its amendment by the Finance Act, 2023,” shall be substituted;

(b) in rule 11AA,-

(i) in sub-rule (1),-

(I) in clause (a), for the words, brackets and figure “clause (i) or”, the words, brackets, figure and letter “clause (i) or sub-clause (A) of” shall be substituted;

(II) for clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(b) Form No. 10AB in case of application under clause (ii) or clause (iii) or sub-clause (B) of clause (iv) of the first proviso to sub - section (5) of section 80G to the Principal Commissioner or Commissioner authorised under the said proviso.” ;

(ii) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(7) In case of an application made under,-

(i) clause (iv) of the first proviso to sub-section (5) of section 80G as it stood immediately before its amendment vide the Finance Act, 2023.; or

- (ii) sub-clause (A) of clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G, the provisional approval shall be effective from the assessment year relevant to the previous year in which such application is made.”;
- (c) in rule 17A,-
- (i) in sub-rule (1),-
- (I) in clause (i), for the words, brackets and figure “sub-clause (i) or”, the words, brackets, figure and letter “sub-clause (i) or item (A) of sub-clause” shall be substituted;
- (II) in clause (ii), for the word, brackets and figure “or (v)”, the words, brackets, figures and letter “or (v) or item (B) of sub-clause (vi)” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (7), for the word, figure and letter “section 12A” the words, figures and letter “section 12A as it stood immediately before its amendment vide the Finance Act, 2023,” shall be substituted.
3. In the principal rules, in the APPENDIX II, -
- (a) in Form No. 10A, -
- (i) below the table and before the heading “Notes to fill Form No. 10A”, for the portion beginning with the words “I, son/daughter of” and ending with the words
- “Date* *Signature”* ,
- the following shall be substituted, namely:-
- “I_____,son/daughter of_____,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.*
- I undertake that I am applying for registration/approval (strike out whichever is inapplicable) under the section code 2/7/ 8/9/10/12 and the activities of the (Name of the institution, trust or fund) having permanent account number (PAN)..... have not commenced on or before the date of making this application.*
- I further undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non-profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter. I also declare that I am filing this form in my capacity as.....(designation) having PAN.....and that I am competent to file this form and verify it.*
- Date :* *Signature*
- Or (for codes 1/3/4/5/6/11)*
- I.....,son/daughter of..... ,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.*
- I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non-profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as.....(designation) having permanent account number.....and that I am competent to file this form and verify it.*
- Date:* *Signature*
- (strike whichever is inapplicable)”;*
- (ii) Under the heading “Notes to fill Form No. 10A”, for serial number 2., the following shall be substituted, namely:- “ 2. Application for registration under section 10(23C)/ 12A/80G/select one of the following code in row 2:

1	Sub-clause (i) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A	01
2	Item (A) of sub-clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	02
3	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	03
4	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	04

5	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	05
6	Clause (i), of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	06
7	Sub-clause (A) of clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	07
8	Sub-clause (A) of clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	08
9	Sub-clause (A) of clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	09
10	Sub-clause (A) of clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	10
11	Clause (i) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	11
12	Sub-clause (A) of clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	12”;

(b) in Form No. 10AB, -

- (i) Below the table and before the heading “Notes to fill Form No. 10AB”, for the portion beginning with the words “I ,son/daughter of” and ending with the words

“Date:

Signature”,

the following shall be substituted, namely:-

“I____,son/daughter of_____,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake that I am applying for registration/approval (strike out whichever is inapplicable) under the section code 4A/12A/12B/12C/12D/ 14A having commenced activities on dd/mm/yyyy and also that no income or part thereof of the (Name of the institution, trust or fund) having permanent account number (PAN)..... has been excluded from the total income on account of applicability of sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 or section 11 or 12 for any previous year ending on or before the date of making this application on dd/mm/yyyy, at any time after the commencement of such activities.

I further undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non- profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as _____(designation)having PAN_____and that I am competent to file this form and verify it.

Date

Signature

Or (for codes 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14)

I____,son/daughter of_____,hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non profit company, or in the rules governing the Institution ,made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as _____(designation) having permanent account number_____ and that I am competent to file this form and verify it.

Date

Signature

(*strike out whichever is inapplicable*)”;

- (ii) Under the heading “Notes to fill Form No. 10AB”, in serial number (2),-
- (I) after row 4, the following row shall be inserted, namely:-

“4A	Item (B) of sub-clause (vi) of clause (ac)of sub-section (1) of section 12A	04A”;
-----	---	-------

- (II) after row 12, the following rows shall be inserted, namely:-

“12A	Sub-clause (B) of clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10(for applicants covered under sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10)	12A
12B	Sub-clause (B) of clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (v) of clause (23C) of section 10)	12B
12C	Sub-clause (B) of clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (vi) of clause (23C) of section 10)	12C
12D	Sub-clause (B) of clause (iv) of first proviso to clause (23C) of section 10 (for applicants covered under sub-clause (via) of clause (23C) of section 10)	12D”;

- (III) after row 14, the following row shall be inserted, namely:-

“14A	Sub-clause (B) of clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	14A”;
------	--	-------

- (c) with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette,-

- (i) in Form No. 10AC, after row 2, the following row shall be inserted, namely:-

“2A.	Nature of activities	Charitable	<input type="checkbox"/>	Religious	<input type="checkbox"/>	Religious cum charitable”;	<input type="checkbox"/>
------	----------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

- (ii) in Form No. 10AD, after row 2, the following row shall be inserted, namely:-

“2A.	Nature of activities	Charitable	<input type="checkbox"/>	Religious	<input type="checkbox"/>	Religious cum charitable”;	<input type="checkbox"/>
------	----------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

- (iii) a in Form No. 10B, in the Annexure , for schedule 269ST and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“Schedule 269ST: Details of amount received exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in a day; or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year				
Details of Payer and amount of payment				
S.No.	Name	PAN, if available	Address	Amount of payment”;

- (iv) in Form No. 10BB, in the Annexure, in row 10 (iii), for the words, brackets and figures “ sub-clause (iv)”, the words , brackets and figures “sub-clause (iii)” shall be substituted.

[Notification No. 45/2023/ F. No. 370142/18/2023-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969 (E) dated 26th March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R 194(E) dated 16th March, 2021.

To join our telegram Channel ,click anywhere on this page